न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारी:– श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

निर्णय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 7/2020

बउनवान:–

रामदयाल पुत्र पृथ्वीराज जाति भील निवासी पापडली तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0

वकील वादी : श्री बुद्दी प्रकाश मालव

दायरा दिनांक: 28.01.2020

निर्णय दिनांक : 19.02.2021

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी के शामलाती खाते की भूमि ग्राम पापडली में खाता संख्या 64 खसरा नं0 407 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 418 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 547 रकबा 0.51 है0 खसरा नं0 550 रकबा 1.34 है0 कुल किता 4 रकबा 1.93 है0 स्थित है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/20 दर्ज है। शामलाती खाते की भूमि ग्राम पापडली की खाता संख्या 64 किता 4 रकबा 1.93 है0 में वादी का नाम सहवन से शम्भूदयाल दर्ज हो गया है जबकि वादी का सही नाम रामदयाल है। वादी के खाते की भूमि ग्राम पापडली के खाता संख्या 214 खसरा नं0 416 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 417 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 72 रकबा 1.99 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.09 है0 में वादी का नाम रामदयाल दर्ज है। शामलाती खाते की भूमि ग्राम पापडली की खाता संख्या 64 किता 4 रकबा 1.93 है0 में वादी का नाम सहवन से शम्भूदयाल दर्ज हो गया है। जबकि वादी का सही नाम रामदयाल पुत्र पृथ्वीराज है। वादी अपने शामलाती खाते की भूमि पर ग्राम पापडली की खाता संख्या 64 किता 4 रकबा 1.93 है0 में वादी का नाम शम्भूदयाल के स्थान पर रामदयाल दर्ज करना चाहता है। वादी द्वारा आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड व वादी के खाते की नकले पेश की है। नाम गलत होने से वादी सरकारी योजनाओ का लाभ नही उठा पा रहा है। अतः निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी ग्राम पापडली की खाता संख्या 64 खसरा नं0 407 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 418 रकबा 0.03 है0 खसरा नं0 547 रकबा 0.51 है0 खसरा नं0 550 रकबा 1.34 है0 कुल किता 4 रकबा 1.93 है0 में वादी का नाम शम्भूदयाल के स्थान पर रामदयाल दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.03.22 12:23:02 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 28.01.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार भी है को रिपोर्ट हेतु तबल किया

गया। अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) ने अपने पत्र कमांक/राजस्व/2020/664 दिनांक 16.12.2020 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ग्राम पापडली में खाता संख्या 64 पर शम्भूदयाल पुत्र पृथ्वीराज हिस्सा 1/20 राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम पापडली में खाता संख्या 214 पर प्रार्थी का नाम रामदयाल पुत्र पृथ्वीराज हिस्सा 1/20 राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी के बैंक खाता, भामाशाह, आधार कार्ड, राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम रामदयाल पुत्र पृथ्वीराज दर्ज है अतः सही नाम रामदयाल पुत्र पृथ्वीराज राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने की अनुशंषा की जाती है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। वकील वादी की दिनांक 19.02.2021 को एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यों का कथन किया जिनका उनके द्वारा अपने वाद पत्र में अंकन किया गया है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि से भी वादी का नाम रामदयाल पुत्र पृथ्वीराज जाहिर होता है। साथ ही ग्राम पापडली के खाता संख्या 214 खसरा नं0 416 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 417 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 72 रकबा 1.99 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.09 है0 में वादी का नाम रामदयाल दर्ज है। जिससे वादी का नाम शम्भूदयाल ना होकर रामदयाल होने की पुष्टि होती है। दस्तावेजात के पक्ष में गवाह स्वयं व रामंप्यारी पुत्री पृथ्वीराज पत्नि लटूर निवासी पापडली के बयान करवाये गयें। अतः तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात व दिनांक 19.02.2021 को अधिवक्ता वादी की सुनी गयी बहस के आधार पर ग्राम पापडली तहसील मांगरोल की आर[illegible] संख्या 64 खसरा नं0 407 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 418 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 547 रकबा [illegible] है0 खसरा नं0 550 रकबा 1.34 है0 कुल किता 4 रकबा 1.93 है0 की राजस्व जमाबंदी में दर्ज [illegible]दयाल पुत्र पृथ्वीराज को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर रामदयाल पुत्र पृथ्वीराज दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार मांगरोल को राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2021 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.03.22 12:23:02 IST
Reason: SelfAttested